न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–1139/36–1–13–11(सा0)/05 दिनांकः 30–08–2013 तथा सपठित शुद्वि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1535/36–11(सा0)/05, दिनांकः 21–11–2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की दरें जो मासिक की आधार पर निर्धारित की गयी है, उनकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986–87=100) के जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 अंक के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 तक के औसत अंक 1191 अंको पर दिनांकः 1–10–2023 से दिनांकः 31–3–2024 की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगा।

दृष्टान्तः–रूपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1191 पर दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगाः–

$$\frac{(1191-676)}{676} \times 4550 = 3285$$ प्रतिमाह

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांकः 1.10.2023 से दिनांकः 31.3. 2024 तक	
				दिनांकः 1.10.2023 से दिनांकः 31.3. 2024 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (3+5)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550.00	7835	3466	8016	308
2	अर्द्व–कुशल	5200.00	8954	3962	9162	352
3	कुशल–क	6200.00	10676	4723	10923	420

अधिसूचना संख्या–1130/छत्तीस–1–13–11(सा0)/05 दिनांकः 30 अगस्त 2013 के बिन्दु– 2(ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार मात्रानुपाती कार्यो के लिये नियत मजदूरी की दरें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांकः से एक वर्ष के पश्चात बढ जायेगीं। अधिसूचना में दी गयी व्यवस्था के अनुसार मात्रानुपाती दरें दिनांकः 30 अगस्त 2022 से 29 अगस्त 2023 तक निम्न प्रकार हैः–

कमॉक	कर्मकार की श्रेणी	दिनांकः 30 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2024 तक देय मात्रानुपाती दरें।	
1	बीड़ी रोलिंग के कार्य में	163 रूपये प्रति हजार	
2	चिट लगाने का कार्य में	16 प्रति हजार बीड़ी	
3	एक लाख बीड़ी/एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने(लपेटने, लेबल चिपकाने, पैकेट(मोड़ा आदि बनाने के लिये	एक लाख बीड़ी के बण्डल बनाने हेतु	एक हजार बीड़ी का बण्डल बनाने हेतु
	जब एक बण्डल में 25 बीड़ी हों	रूपया 376	रूपया 3.76
	जब एक बण्डल में 24 बीड़ी हों	रूपया 385	रूपया 3.85
	जब एक बण्डल में 20बीड़ी हों	रूपया 433	रूपया 4.33
	जब एक बण्डल में 12बीड़ी हों	रूपया 497	रूपया 4.97
	जब एक बण्डल में 10 बीड़ी हों	रूपया 580	रूपया 5.80
	जब एक बण्डल में 8 बीड़ी हों	रूपया 700	रूपय 7.00
	जब एक बण्डल में 7 बीड़ी हों	रूपया 779	रूपया 7.79

26.9.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 989-96 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 29/9/2023

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।

2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।

3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से

4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।

5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।

6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।

7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

26-9-2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–801/36–3–2013–79(न्यू0वे0)/07 दिनांकः 25–07–2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में(मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर प्रश्नगत वर्ष के जनवरी 2023 से जून 2023 माह के औसत अंक 386 पर दिनांकः 1–10–2023 से 31–3–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 4500.00/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–386 पर दिनांकः 1–10–2023 से दिनांकः 31–3–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(386–181)

.... .X4500= रू0–5097/–प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है:–

कमॉक	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियॉ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियॉ	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः 1.04.2023 से दिनांकः 30.9.2023 तक कुल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांकः 1.10.2023 से दिनांकः 31.3.2024 तक	
					दिनांकः 1.10.2023 से दिनांकः 31.3.2024 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) (4+5)	दैनिक मजदूरी दरें,(रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	9423	5097	9597	369
2	अर्द्ध–कुशल	अर्द्ध–कुशल	5000.00	10470	5663	10663	410
3	कुशल–क	कुशल	5400.00	11307	6116	11516	443
4	कुशल–ख	कुशल	5300.00	11098	6003	11303	435
5	कुशल–ग	कुशल	5200.00	10888	5890	11090	427
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	11517	6229	11729	451
7	लिपिक–1	कुशल	5400.00	11307	6116	11516	443
8	लिपिक–2	कुशल	5100.00	10679	5776	10876	418

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 997-1004 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 29/09/2023

प्रतिलिपि

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेवसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

26.9.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजनो में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–778/36–3–2011 दिनांक: 13–08–2011 तथा शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना संख्या–1778/36–3–2011 दिनांक: 30–10–2011 द्वारा कॉच की चूडी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुकम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 के औसत अंक 386 अंको पर दिनांक: 1–10–2023 से 31–3–2024 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 4300/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–386 पर दिनांक: 1–10–2023 से दिनांक: 31–10–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(386–181)

.... .X4300= रू0–4870/–प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है:–

कमॉक	श्रेणियॉ	प्रतिमाह मजदूरी रूपये में	दिनांक: 1.04.2023 से दिनांक: 30.9.2023 (मूल वेतन+महंगाई भत्ता)	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में	दिनांक 1.10.2023 से दिनांक: 31.3.2024 तक	
				दिनांक 1.10.2023 से दिनांक: 31.3.2024 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में)(3+5)	दैनिक मजदूरी दरें, (रूपये में)(1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4300.00	9004	4870	9170	353
2	अर्द्ध–कुशल	4900.00	10260	5550	10450	402
3	कुशल	5450.00	11412	6173	11623	447
4	तारवाला	11150.00	23347	12628	23778	915
5	बेलनिया	7800.00	16333	8834	16634	640
6	पर्यवेक्षक	7550.00	15809	8551	16101	619

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1005-12 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 29/9/2023

प्रतिलिपि

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई-मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6. उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

26.9.2023

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू0वे0)/4 दिनांकः 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू0वे0)/06 दिनांकः: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकिंत 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जनवरी 2023 से जून 2023 के औसत अंक 386 पर दिनांकः 1–10–2023 से 31–3–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–386 पर दिनांकः 1–10–2023 से दिनांकः 31–03–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(386–216)

.... .X5750= रू0–4525/–प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

कमॉक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांकः1.04.2023 से 30.9.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में दिनांकः1.10.2023 से 31.3.2024 तक	दिनांकः1.10.2023 से 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दिनांकः1.10.2023 से 31.3.2024 तक दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	10089	4525	10275	395
2	अर्धकुशल	6325	11098	4978	11303	435
3	कुशल	7085	12432	5576	12661	487

2 ईट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:–

कमॉक	श्रेणी	दिनांकः1.10.2023 से 31.3.2024 तक		
1 2	अकुशल कुशल	उपरोक्त तालिका के कमॉक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0–365	रू0–287	रूपया–652/– प्रति हजार
	भराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	रू0–110 रू0–132	रू0–87 रू0–104	रूपया–197/– प्रति हजार रूपया–236/– प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0–110	रू0–87	रूपया–197/– प्रति हजार

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वासित पेयो(एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 वॉध तटवन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालायों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 ढलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शॉपिग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।
24 धर्मशाला।

25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मीटर परिवहन।
31 यॉन्त्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 चिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।
37 आइसकैण्डी/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशचला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 जिल्दसाजी।
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईंट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्व किंया–कलाप सम्मिलित नही है।
64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्ते) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरूष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1013-20 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक:29/9/2023

1 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2 अनुसचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेवसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8 समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

26.9.23

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।